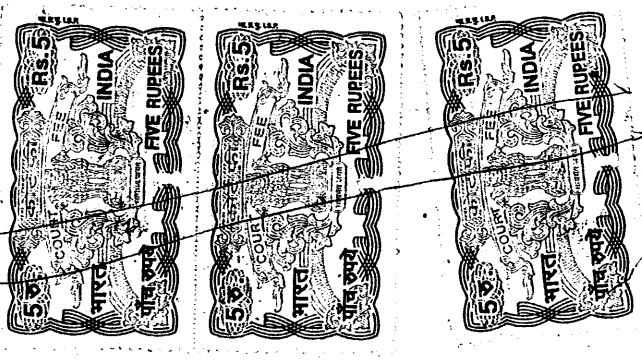

57

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2011 पुनरावलोकन Review-1634-II/2011

माधो मृत द्वारा उत्तराधिकारीगण

1- रामहेत पुत्र माधोलाल

2- रामकरण पुत्र माधोलाल

3- अमरलाल पुत्र माधोलाल

4- तस्वीरबाई पुत्री माधोलाल पत्नी चतरलाल

समस्त निवासीगण ग्राम बासोद जिला श्योपुर ------- आवेदकगण

विरुद्ध

1- शंभूलाल पुत्र मन्नालाल मीणा निवासी ग्राम पाण्डोली तहसील एवं जिला श्योपुर

2- बर्फीबाई पत्नी पन्नालाल मीणा निवासी ग्राम बगडआ

3- केदारी पत्नी रामनिवास निवासी ग्राम मूडला जिला श्योपुर

4- कस्तुरी पत्नी परसराम

5- रामप्यारी पत्नी कनीराम

निवासी ग्राम दुकाड्याखोहा जिला श्योपुर

------- अनावेदकगण

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र.
ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 351-तीन/2009 में दिनांक 30-5-2011 (जिसकी सूचना दिनांक 25-8-2011 को प्राप्त हुयी) के पुनरावलोकन हेतु आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

--- 2

" था । अतः

--- 3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन/1634/दो/2011 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-2-17	यह पुर्नविलोकन आवेदकगण द्वारा प्र.क. निगरानी /351/तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2011 के पुर्नविलोकन हेतु म.प्र.भू.रा.सं.की धारा–50 (जिसे आगे केवल संहिता कहां जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश है कि प्रकरण में विवादित भूमि के स्वामी गणेशराम थे। गणेशराम एवं उनकी पत्नी मथुरी के द्वारा आवेदकगण के पिता माधौ को पुत्र के रूप में गोद लिया था, एवं भूमि भूमिस्वामी गणेशराम की मृत्यु सम्बत 1997 वर्ष 1940 में हो गई थी। गणेशराम की मृत्यु के समय प्रभावशील विधि के अनुसार आवेदकगण के पिता माधौ का नामांतरण अपने पिता गणेशराम के स्थान पर किया गया। गणेशराम की एक पुत्री अनावेदक कं. 01व02 की मॉ रामसुखी थी, जिनके द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 22ए/1961 प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वयं के अधिकार की घोषणा एवं आवेदकगण के पिता माधौ के दत्तक ग्रहण को चुनौती दी गई, उक्त व्यवहार वाद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.08.1964 को निरस्त कर दिया, जिससे वादी रामसुखी को कोई राहत नहीं दी गई। वादी रामसुखी द्वारा जिला जज के समक्ष प्रथम तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील की गई जो निरस्त हुई एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री यथावत रखी गई। गणेशराम की मृत्यु निर्विवाद रूप से सन 1997 में हुई उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। उक्त अधिनियम प्रभावशील होने के पश्चात वर्ष 1961 में उसे संहिता के की धारा 164 पर प्रभावी किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों एवं माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ने आवेदकगण के पिता माधौ के हित में पारित नामांतरण को इसलिये निरस्त किया कि नामांतरण की कार्यवाही वर्ष 1980 एवं 1983 में प्रारम्भ हुई तथा हिन्दू उत्तराधिका अधिनियम 1956 प्रभावशील हो गया था।इसकारण मृतक गणेशाराम के समस्त वारिसों का नामांतरण किया जाये। जिससे परिवेदित होकर पुर्नविलोकन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।	

3— पुर्नविलोकन में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्धा अभिलेख का अवलोकन किया एवं उनके तर्का पर मनन किया।

4— आवेदकगण के अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि वादित भूमि पर लगातार आवेदकगण के पिता का इन्द्राज चला आ रहा था तथा अनावेदकगण द्वारा दत्तक पुत्र के सम्बंध में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वाद खारिज हो जाने पर माननीय जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्र.क्रं. द्वितीय अपील 20/66 पर दर्ज कर आदेश दिनांक 16.11.67 को निराकरण कर आवेदकगण के पिता माधौ को मृतक गणेशराम का एकमात्र वारिस होने तथा नाम नामांतरण हेतु आदेश प्रदान किये गये थे। जिसमें अनावेदकगण एवं उनकी मॉ भी पक्षकार थी। यह निर्णय सभी पक्षकारों पर बंधनकारी है तथा उक्त निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं होने से निर्णय अंतिम हो चुका हे। इसकारण से किसी भी अनावेदक को कोई कार्यवाही पुनः करने का अधिकार शेष नहीं रहता है। आवेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.11.1983 से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष दिनांक 17.11.99 को लगभग 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई जिसमें विलम्ब से अपील पेश करने का कोई कारण नहीं बताया गया, अपील अवधि बाह्य होने के पश्चात् भी अपील को स्वीकार की गई उक्त अपील में पारित आदेश के विरूद्व मृतक माधौ द्वारा अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जिसे भी अपर आयुक्त महोदय द्वारा सारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्व मृतक माधौ द्वारा श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे प्र.क्रं. निगरानी 351/तीन/2009 पर दर्ज कर दिनांक 30 मई 2011 को निरस्त कर दी गई, उक्त समस्त आदेशों में न्यायालय द्वारा तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है एवं तथ्यों को दृष्टिओझल करते हुए निर्णय पारित करने में वैधानिक भूल की हैं आवेदकगण के अधिवक्ता का अंत में यह भी तर्क है जब विवादित भूमि के सम्बंध में भूमिस्वामी का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय तक से आवेदकगण के पिता माधौ के पक्ष में हो गया था तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित करना माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना करना है, क्योकि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। अंत में उनका महत्वपूर्ण तर्क

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात की गई थी जिसका कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि विधि का यह सिद्वान्त है कि विलम्ब के सम्बंध में दिन प्रतिदिन का कारण दर्शाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5— अनावेदक कं. 01 लगायत 5 को बार बार सूचना देने के बाद भी अनुपस्थित रहे है। अतः उनके विरूद्व पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6— आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वह प्रथम दृष्टया स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योकि वादित भूमि के सम्बंध में व्यवहार न्यायाधीश द्वारा जो डिक्री पारित की गई थी वह आवेदकगण के पिता माधौ के पक्ष में दी गई है एवं व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एंव डिक्री जिला जज एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वितीय अपील कमांक 20/66 से व्यवहार न्यायाधीश के आदेश की पृष्टि की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण के पिता माधौ (मृतक) को ही मूल भूमिस्वामी गणेशराम का एकमात्र वारिस माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण में प्रतिअपीलार्थीगण एवं उनकी माता मथुरीबाई भी पक्षकार थी, इसकारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी पर बंधनकारी है एवं व्यवहार न्यायालय से निराकरण होने के पश्चात भी प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा राजस्व न्यायालयों में सिविल न्यायालय से पारित आदेशों को न दर्शातें हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व लगभग 16 वर्षो के पश्चात अपील की गई जिसे विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भली भांति नांति परिसीलन न कर प्रार्थीगणों के पिता के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश को निरस्त कर विधि की भारी भूल की है। प्रकरण में अवलोकनीय तथ्य यह भी है कि वादित भूमि के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व में आदेश हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.11.67 प्र. क. द्वितीय अपील 20/66 से आवेदकगण के पिता को ही वादित भूमि के मूल भूमिस्वामी गणेशराम का एकमात्र वारिस माना है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश समस्त राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसके उपरांत भी अनुविभागीय

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील लगभग 16 वर्ष पश्चात की गई थी जिसका कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि विधि का यह सिद्वान्त है कि विलम्ब के सम्बंध में दिन प्रतिदिन का कारण दर्शाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5— अनावेदक कं. 01 लगायत 5 को बार बार सूचना देने के बाद भी अनुपस्थित रहे है। अतः उनके विरूद्व पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6— आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वह प्रथम दृष्टया स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योकि वादित भूमि के सम्बंध में व्यवहार न्यायाधीश द्वारा जो डिक्री पारित की गई थी वह आवेदकगण के पिता माधौ के पक्ष में दी गई है एवं व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एंव डिक्री जिला जज एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वितीय अपील कमांक 20/66 से व्यवहार न्यायाधीश के आदेश की पृष्टि की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण के पिता माधौ (मृतक) को ही मूल भूमिस्वामी गणेशराम का एकमात्र वारिस माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण में प्रतिअपीलार्थीगण एवं उनकी माता मथुरीबाई भी पक्षकार थी, इसकारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सभी पर बंधनकारी है एवं व्यवहार न्यायालय से निराकरण होने के पश्चात भी प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा राजस्व न्यायालयों में सिविल न्यायालय से पारित आदेशों को न दर्शातें हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व लगभग 16 वर्षो के पश्चात अपील की गई जिसे विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भली भांति नांति परिसीलन न कर प्रार्थीगणों के पिता के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश को निरस्त कर विधि की भारी भूल की है। प्रकरण में अवलोकनीय तथ्य यह भी है कि वादित भूमि के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व में आदेश हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.11.67 प्र. क. द्वितीय अपील 20/66 से आवेदकगण के पिता को ही वादित भूमि के मूल भूमिस्वामी गणेशराम का एकमात्र वारिस माना है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश समस्त राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है/ इसके उपरांत भी अनुविभागीय

अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रतिअपीलार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किये गये है एवं पूर्व में राजस्व मण्डल द्वारा पारित किये गये आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार होने से रह गया था। इस कारण से पूर्व में पारित किया गया आदेश का पुर्नविलोकन किया जाना उचित है। एवं पूर्व में पारित किये गये आदेश विधिवत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.05.2011 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.09 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2006 निरस्त किये जाते है तथा नायब तहसीलदार द्वारा बडौदा द्वारा प्र.कं. 01 / 79–80 / अ–6अ में पारित आदेश दिनांक 22.11.1983 को यथावत रखते हुए ग्राम बासोंद की भूमि सर्वे कं. 117 एवं 175 तथा ग्राम बिदाखेडली में स्थित भूमि सर्वे क्रं. 85 पर आवेदकगण के पिता माधौ के स्थान पर आवेदकगण का नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बडौदा को दिये जाते है।

(एम.के.सिंह.)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर